विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	उद्योग विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:	5046
उत्तर की तिथि	:	10/03/2022
विषय	:	अवैध खनन
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)
सम्बन्धित मंत्री	:	उद्योग मंत्री

	प्रश्न	उत्तर
(क)	गत 3 वर्षो में दिनांक 31.01.2022 तक प्रदेश में अवैध खनन के कितने मामले दर्ज किए गए, कितने कंपाउंड किए गए, कितने मामले न्यायालय में लम्बित हैं; कितने मामलों में जुर्माने के तौर पर कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	सरकार अवैध खनन को रोकने हेतु क्या पग उठा रही है; ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5046, श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) द्वारा पूछे गए प्रश्न से सम्बन्धित सभा पटल पर रखा गया उत्तर

(क)	गत 3 वर्षों के दौरान जनवरी 2019 से लेकर 31–01–2022 तक कुल 21,268 मामले अवैध खनन से सम्बन्धित दर्ज किए गये जिनमें से 15,580 मामले कंपाउंड किये गये तथा दोषियो से मु0 9,47,92,377/–रू0 की जुर्माना राशि वसूल की गई है। इसके अतिरिक्त 4,831 मामलें न्यायालय में दर्ज किए गए हैं जिनमे से 2,128 मामलों में न्यायालय द्वारा रू 1,75,37,000/– राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है व शेष मामले न्यायालय में विचाराधीन है।
(ख)	प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश गौण खनिज़ (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के नियमों में बहुत से नए प्रावधान किए गए हैं। इसमें अवैध खनन में संलिप्त दोषियों को सजा देने के प्रावधानों को और कठोर किया गया है। पिछले नियमों में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में संलिप्त दोषियों को एक साल की सजा व 25,000/रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया था, जिसे सन् 2018 के दौरान बढ़ा कर दो साल की सजा व 5,00,000/रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध खनिज़ की मात्रा के आधार पर सजा देने का प्रावधान भी किया गया है जिसमें 25 मी0 टन से अधिक अवैध रूप से निकाले गए खनिज़ की मात्रा के लिए न्यूनतम 500/रूपये प्रति मी0 टन के हिसाब से कम्पाऊडिंग फीस वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है। पिछले नियमों के अनुसार प्रदेश के नदी नालों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए मशीनों द्वारा किए जाने वाले अवैध खनन के लिए न्यूनतम 25000/रूपये की जुर्माना/ कम्पाऊडिंग फीस वसूल किए जाने का प्रावधान था जिसे अब बढ़ा कर न्यूनतम 50000/रूपये किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से भण्डारित किए गए खनिज़ पर बाज़ार के मूल्य के आधार पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न

	जिलों में खनिज क्षमता वाली नदियों को चिन्हित कर नीलाम भी किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैध खनिज का दोहन स्त्रोत उपलब्ध हो सके जिससे प्रदेश सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी व अवैध खनन पर अंकुश लगेगा। प्रदेश सरकार द्वारा उपमण्डल स्तर पर Flying Squad का गठन किया गया है जिसके द्वारा समय–समय पर अवैध खनन के लिए संवेदशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है। अतः यह सरकार जहां एक ओर अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबध है वहीं दूसरी ओर खनन रियायतें प्रदान करने के लिए नियमों का सरलीकरण करने के लिए भी प्रभावी कदम उठा रही है ताकि वैज्ञानिक एवं वैध तरीके से प्रदेश में लघु खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।